| | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>1 | आदेश पर की गई कार्यवाही |
|---|---|---|

# जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 25/2023–24

राज्य सरकार

–बनाम–

जैनुल अंसारी वगै0

## –: आदेश :–

12.01.2024

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 2409/अप0शा0, दिनांक 03.07.2023 से बरहेट थाना कांड संख्या 44/23, दिनांक 29.04.2023, धारा–379/414 भा0द0वि0 एवं 21(ए)/21(6), Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 & 04/54 Jharkhand Mines and Mineral Act, 2004 & 7/9 Jharkhand Minerals (prevention of illegal mining) transporation & storage rule 2017 के अन्तर्गत जप्त बालू सहित राजसात (अधिहरित) करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की माँग किया गया।

मामला संक्षिप्त में यह है कि कांड के वादी सोमनाथ बनर्जी उम्र करीब 50 वर्ष पे0 स्व0 सुकुमार बनर्जी, सा0– मुरली बगीचा, थाना– गुमला, जिला– गुमला वर्त्तमान अंचल अधिकारी, बरहेट थाना– बरहेट, जिला– साहेबगंज के कार्यालय का पत्रांक– 200/रा0, दिनांक– 15.03.2023 के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त जैनुल अंसारी, पिता– सुलतान अंसारी, सा0– छोटा कदमा, थाना– बरहेट, जिला– साहेबगंज के विरूद्व अवैध रूप से बालु का भंडारण करने जो करीब 4000 CFT पाया गया को घटना स्थल से जप्त की गई। जाँच के क्रम में पाया गया कि अवैध रूप से बालु पकड़ा गया। स0अ0नि0 विनोद कुमार, बरहेट थाना द्वारा घटना स्थल पर मौजूद साक्षियों के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए उपरोक्त बालु को जप्त किया गया तथा थाना प्रभारी, बरहेट को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया, जिसके आधार पर कांड अंकित किया गया।

विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षी कभी भी इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अतः संबंधित खनिज (बालू) को अवैध खनन में संलिप्त मानते हुए JMMC Rule के तहत् राजसात किया जाता है।

अतएव अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बरहेट थाना कांड संख्या 44/23, दिनांक 29.04.2023, धारा–379/414 भा0द0वि0 एवं 21(ए)/21(6), Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 & 04/54 Jharkhand Mines and Mineral Act, 2004 & 7/9 Jharkhand Minerals (prevention of illegal mining) transporation & storage rule 2017 के अन्तर्गत जप्त बालू सहित राजसात (अधिहरित) करना उचित प्रतीत होता है।

Scanned with OKEN Scanner

Before the National Green Tribunal Principal Bench, New delhi के Original Application No. 23/2017 (EZ), Order dated 15.03.2023 के कंडिका–19 के अनुसार "we note from the above compliance status, presented to the Tribunal, that 112 units do not have height lower than the height of wind breaking walls nor they have constructed road for transportation to control dust pollution, as noted at Sr. No. V and VI. They are reported to be merely using water sprinklers to control dust in the course of transportation, adequacy of which is not been verified nor source of availability of water for water sprinklers ascertained. Level of dust pollution is not ascertained. As shown at Sr. No. X, green belt has not been developed except by 131 units. Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs. Only one stone unit has installed PTZ camera and no action has been taken against the violators. Only 35 units have $PM_{10}$ Analyser (Sr. No. XX). Pollution Control Devices have not been installed for which notices have been issued by the State PCB under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 (Sr. No. XXI). Environmental Compensation deposited is said to be less than Rs. 4 crores against levy of Rs. 7 crores compensation. No action has been taken against those who have failed to pay the compensation. The collected amount has not been utilized for restoration measures. Carrying capacity and damage assessment has not been done on the ground that the Expert Institutions are not available and work has now been awarded on 28.01.2023 to Birsa Institute of Technology (Sr. No. XXIII). Comprehensive Environment Management Plan has not been prepared (Sr. No. XXIV). Overloading of vehicles has been found for which fine has been imposed against 167 vehicles"

1. माननीय NGT के Observation के आधार पर Original Application No. 23/2017 (EZ) में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश ककण्डिका–19 के अनुसार Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs.
2. जिला में चल रहे अवैध माईनिंग एवं परिवहन के रोक–थाम हेतु कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

अतः बरहेट थाना कांड संख्या 44/23, दिनांक 29.04.2023, धारा–379/414 भा0द0वि0 एवं 21(ए)/21(6), Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 & 04/54 Jharkhand Mines and Mineral Act, 2004 & 7/9 Jharkhand Minerals

Scanned with OKEN Scanner

| तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br><br>3 | आदेश पर की गई कार्यवाही |
|---|---|---|

(prevention of illegal mining) transporation & storage rule 2017 के अन्तर्गत जप्त बालू सहित को **The Jharkhand Minerals (Prevention ofillegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017** का 11(V) के अन्तर्गत राजसात किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, बरहेट के उपस्थिति में उक्त वाहनों को एवं उसपर लोड पत्थर चिप्स सहित नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करें।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज, पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, बरहेट को भेजें। पारित आदेश से विपक्षी को भी अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.07.24 13:16:58 +05:30
Location: 192.168.29.165

Scanned with OKEN Scanner